

FAQs for One-Time Registration Portal

1. "वन टाइम रजिस्ट्रेशन" पोर्टल क्या है?

वन टाइम पंजीकरण वेब-आधारित एकीकृत वर्कफ़्लो सिस्टम है, जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के तहत एक बार पंजीकरण प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न नौकरियों के लिए एक मंच प्रदान करके मदद करता है।

2. "Parivar Pehchan Patra (PPP)" क्या है?

Parivar Pehchan Patra (PPP) ID हरियाणा में सभी परिवारों का एक सत्यापित और विश्वसनीय डेटा है। पीपीपी हरियाणा में प्रत्येक परिवार की पहचान करता है और परिवार के मूल डेटा को डिजिटल प्रारूप में परिवार की सहमति से प्रदान करता है। प्रत्येक परिवार को आठ अंकों का परिवार-आईडी प्रदान किया जाएगा। <https://meraparivar.haryana.gov.in/> अधिक जानकारी के लिए।

3. किसी भी मुद्दे के मामले में किससे संपर्क करें?

संपर्क: 1800 200 0023

या

ई-मेल पर helpdesk-hssc@hry.gov.in

4. क्या मैं "वन टाइम पंजीकरण" पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करने के लिए मोबाइल नंबर के बजाय किसी अन्य विकल्प का उपयोग कर सकता हूँ?

नहीं, आप केवल सक्रिय मोबाइल नंबर का उपयोग करके पंजीकरण कर सकते हैं। आपको उल्लिखित मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा और उसी नंबर का उपयोग पंजीकृत उम्मीदवारों को भविष्य की सूचना भेजने के लिए किया जाएगा।

5. क्या मैं एक मोबाइल नंबर का उपयोग करके कई आवेदकों को पंजीकृत कर सकता हूँ?

नहीं, केवल एक आवेदक एक मोबाइल नंबर का उपयोग करके पंजीकरण कर सकता है।

6. मुझे "वन टाइम पंजीकरण" पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए हरियाणा डोमिसाइल का उपयोग करने के लिए कौन सा विकल्प है?

आप नीचे दिए गए प्रासंगिक विकल्प में से चुन सकते हैं:

- i. हरियाणा के निवासी (अधिवास)

FAQs for One-Time Registration Portal

ii. हरियाणा में स्थायी पता, लेकिन निवासी (डोमिसाइल) नहीं

7. अगर मुझे अपना परिवार पेचान पत्र आईडी याद नहीं है, तो पी पी पी से अपने विवरण प्राप्त करने के लिए मैं और कौन सा विकल्प इस्तेमाल कर सकता हूँ?

यदि आपको अपना Parivar Pehchan Patra आईडी याद नहीं है, तो आपको "क्या आपके पास परिवार पत्र (पीपीपी) आईडी है?" के रूप में नहीं चुनना होगा। फिर आपको पीपीपी में विवरित/अपडेट, आधार नंबर दर्ज करना होगा।

8. मैंने अपना वैध आधार नंबर दर्ज किया है क्योंकि मुझे अपनी पीपीपी आईडी याद नहीं है, लेकिन यह अमान्य आधार नंबर के रूप में दिखाई दे रहा है।

ऐसे में आपको यह जांचना होगा कि आपका आधार नंबर आपके पीपीपी आईडी में विवरित/अपडेट है या नहीं।

9. मेरे पास हरियाणा डोमिसाइल है, लेकिन मैंने खुद को पीपीपी पर पंजीकृत नहीं किया है। क्या "वन टाइम रजिस्ट्रेशन" पोर्टल पर पंजीकरण के लिए मेरे पास कोई विकल्प उपलब्ध है?

नहीं, हरियाणा डोमिसाइल होने के नाते आपको पीपीपी पर खुद को पंजीकृत करना होगा तभी आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं।

10. मेरे पास हरियाणा डोमिसाइल नहीं है; क्या मैं "वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल" पर भी अपना पंजीकरण करा सकता हूँ?

हां, आप विकल्प के तहत खुद को पंजीकृत कर सकते हैं क्षेत्र के अंतर्गत विवरण "हरियाणा में कोई स्थायी पता नहीं"।

11. क्या "वन टाइम पंजीकरण" पोर्टल पर पंजीकरण के लिए कोई आयु मानदंड हैं?

हां, कैंडिडेट की उम्र 18-42 साल तक होनी चाहिए।

FAQs for One-Time Registration Portal

12. क्या "वन टाइम पंजीकरण" पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए आरक्षित श्रेणी के लिए कोई आयु छूट है?

हां, आरक्षित श्रेणियों के लिए आयु छूट प्रदान करने के लिए कृपया नीचे दी गई तालिका देखें।

अनु क्रमांक	श्रेणियाँ	आयु में छूट
1	अनुसूचित जनजाति	5 वर्ष
2	अनुसूचित जाति	5 वर्ष
3	ओबीसी-ए / बी / सी	5 वर्ष
4	भूतपूर्व सैनिकों	3 साल
5	बेंचमार्क विकलांगता	10 वर्ष (ग्रुप सी / ग्रुप डी / ग्रुप सी एंड डी)
6	बेंचमार्क विकलांगता + एससी / बीसी	15 वर्ष (ग्रुप सी एंड डी पोस्ट)
7	अविवाहित महिला / विधवा	47 साल तक

13. "वन टाइम रजिस्ट्रेशन" पोर्टल, केवल ग्रुप सी और ग्रुप डी से संबंधित नौकरियों से संबंधित है?

हां, वन टाइम पंजीकरण पोर्टल वर्तमान में केवल ग्रुप सी और ग्रुप डी से संबंधित नौकरियों से संबंधित है।

14. मैं अपना फोटोग्राफ अपलोड करने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन एप्लिकेशन मुझे फोटोग्राफ अपलोड करने की अनुमति नहीं दे रहा है?

FAQs for One-Time Registration Portal

कृपया जांचें कि आप जो फ़ाइल अपलोड कर रहे हैं, वह ".JPG" प्रकार की है और फोटोग्राफ का आकार 500 KB से अधिक नहीं होना चाहिए।

15. पीपीपी आईडी से आने वाला विवरण सही नहीं है, क्या मैं उन्हें ओटीआर पोर्टल पर सही कर सकता हूँ?

नहीं, आपको पीपीपी पोर्टल पर अपडेट करना होगा।

16. एक बार जब मैं ओटीपी पोर्टल पर पंजीकरण करता हूँ, तो यह कब तक मान्य होगा?
यह 3 साल के लिए वैध होगा।

17. एक बार भुगतान करने के बाद क्या मैं अपना फॉर्म संपादित कर सकता हूँ?

नहीं, आपको मेल आईडी पर ईमेल करना होगा "helpdesk-hssc@hry.gov.in" अपने फॉर्म के लिए संपादन मोड प्राप्त करने के लिए अपनी आवश्यकता के उचित विवरण के साथ मेल आईडी पर ईमेल करना होगा।

18. मैं वन-टाइम पंजीकरण पोर्टल से संबंधित अपनी शिकायत कहां से डाल सकता हूँ?

आप अपनी शिकायत हेल्पलाइन नंबर '1800 200 0023' पर कर सकते हैं, जहां एक टिकट आईडी आपको SMS के जरिए जारी की जाएगी, या ईमेल आईडी पर अपनी इंकवायरी डाल सकते हैं helpdesk-hssc@hry.gov.in।

19. ओटीआर पोर्टल हेल्पलाइन के लिए मानक प्रतिक्रिया समय क्या है?

आमतौर पर, इंकवायरी को हल करने के लिए 7-10 कार्य दिवस लगते हैं।

20. रिफंड की प्रक्रिया क्या है?

रिफंड के लिए, कृपया हमें ईमेल आईडी पर लिखें: helpdesk-hssc@hry.gov.in और GRN नंबर के साथ मेल पर अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर प्रदान करें।

FAQs for One-Time Registration Portal

1. What is “One Time Registration” portal?

One Time Registration is Web-based integrated workflow system, which helps jobseeker by providing a platform to various jobs via one-time registration process under Haryana Staff Selection Commission. Visit <https://onetimereg.haryana.gov.in/>

2. What is “Parivar Pehchan Patra”?

Parivar Pehchan Patra (PPP) ID is a verified and reliable data of all families in Haryana. PPP identifies each and every family in Haryana and keeps the basic data of the family, provided with the consent of the family, in a digital format. Each family will be provided an eight-digit Family-Id. Visit <https://meraparivar.haryana.gov.in/> for more information.

3. Whom to contact in case of any issue?

Contact: 1800 200 0023

or

e-mail on helpdesk-hssc@hry.gov.in

4. Can I use any other option instead of mobile number to register myself on “One Time Registration” portal?

No, you can register only using active mobile number. You will receive an OTP on the mentioned mobile number and the same number will be used for sending future notification to the registered candidates.

5. Can I register multiple applicants using one mobile number?

No, only one applicant can register using one mobile number.

6. Which option I have to use being Haryana Domicile to register on “One Time Registration” Portal?

You can choose from the relevant option mentioned below:

- iii. Resident of Haryana (Domicile)
- iv. Permanent Address in Haryana, but not resident (Domicile)

FAQs for One-Time Registration Portal

7. If I don't remember my Parivan Pehchan Patra ID, what other option I can use in order to fetch my details from PPP?

In case you don't remember your Parivar Pehchan Patra ID, you have to choose "Do you have Parivar Pehchan Patra (PPP) ID?" as NO. Then you need to enter your Aadhar number in order to fetch your details from PPP.

8. I have entered my valid Aadhar number as I don't remember my PPP ID, but it's showing as Invalid Aadhar number.

In such case you have to check whether your Aadhar number is updated in your PPP ID.

9. I am having Haryana Domicile but I haven't registered myself on PPP. Is there any option available for me to register on "One Time Registration" Portal?

No, being Haryana domicile you need to register yourself on PPP then only you can register on "One Time Registration" Portal.

10. I don't have Haryana Domicile; Can I also register myself on the "One Time Registration Portal"?

Yes, you can register yourself using Option under field Resident Details "No Permanent Address in Haryana".

11. Are there any age criteria for registering on "One Time Registration" Portal?

Yes, Candidate age should fall under 18-42 Years.

FAQs for One-Time Registration Portal

12. Is there any Age relaxation for reserved category to register on “One Time Registration” Portal?

Yes, please refer below table for Age relaxation provide to Reserved categories.

SSSS

Sr. No	Categories	Age Relaxation
1	ST	5 Years
2	SC	5 Years
3	OBC-A/B/C	5 Years
4	Ex-servicemen	3 Years
5	Benchmark Disability	10 Years (Group C/ Group D/ Group C & D)
6	Benchmark Disability + SC/BC	15 Years (Group C & D Posts)
7	Unmarried Woman/Widow	up to 47 Years

13. “One Time Registration” Portal, only deals with Group C & Group D related jobs?

Yes, One Time Registration Portal currently deals with only Group C & Group D related jobs.

14. I am trying to upload my photograph, but application is not allowing me to upload the photograph?

Please check whether file you are uploading is of “.JPG” type and size of image shouldn't me more than 500 KB.

FAQs for One-Time Registration Portal

15. Details coming from PPP ID is not correct, Can I correct them on OTR Portal?

No, you have to update on PPP Portal.

16. Once I register on OTP Portal, how long it will be valid?

It will be valid for 3 years.

17. Can I edit my form, once I made the payment?

No, you need to email on to mail id "helpdesk-hssc@hry.gov.in" with proper justification of your requirement in order to get edit mode for your form.

18. Where I can raise my Complaint related to One-time registration Portal?

You can raise your complaint on helpline number '1800 200 0023' where a ticket id will be share via SMS to you for future reference of the issue OR you can raise your query on email id: 'helpdesk-hssc@hry.gov.in'.

19. What is the standard response time for OTR Portal helpline?

Usually, it takes 7-10 working days to resolve a query.

20. What is the procedure for Refund?

For refund, please write us on email id: helpdesk-hssc@hry.gov.in and provide your registered mobile number on the mail along with GRN number.